रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271437
CG-DL-E-31032026-271437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948
No. 206] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 225(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा की धारा 53 और 53क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 17, धारा 17क, धारा 18 और धारा 22 के साथ पठित धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माल और सेवा कर निधि निपटान नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित नियम बनाती है ,अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—.(**1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर निधि निपटान नियम, 2025 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत माने जाएंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) (क) "प्राधिकरण" से बोर्ड, राज्य कर नोडल प्राधिकरण, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा फीस बोर्ड तथा संबंधित राज्यों के राज्य लेखा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा फीस बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "प्रत्यय के क्रॉस उपयोग" से अभिप्रेत है-

(i) केंद्रीय कर या राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए एकीकृत कर के के लेखे प्रत्यय, या

(ii) यथास्थिति, संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 या धारा 49क या धारा 49ख अथवा संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 या धारा 9क या धारा 9ख अथवा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 18 के उपबंधों के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 या धारा 49क या धारा 49ख के उपबंधों के अनुसार एकीकृत कर के संदाय के लिए केंद्रीय कर या राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के के लेखे प्रत्यय;

(घ) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "आवक कर प्रत्यय" से आवक कर का प्रत्यय अभिप्रेत है;

(च) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किंतु इसमें विशिष्ट पहचान संख्या वाला व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

(छ) 'रिपोर्ट' से इन नियमों द्वारा या इनके अधीन विनिर्दिष्ट या अन्यथा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ज) "राज्य लेखा प्राधिकरण" से किसी राज्य का लेखा प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है;

(झ)" राज्य कर नोडल प्राधिकरण" से संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी राज्य का कराधान प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दो और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु यथास्थिति, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या, उक्त किसी विधि के अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः इन अधिनियमों में हैं ।

3. **रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण** - सामान्य पोर्टल उन महीने की **25** तारीख तक प्राधिकरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें माल और सेवा कर विवरणी प्रस्तुत की जाती हैः

परंतु यह कि यदि महीने की 25 तारीख को छुट्टी हो, तो उक्त रिपोर्ट छुट्टी के पश्चात् पहले कार्य दिवस तक भेजी जाएगी:

परंतु यह और कि यदि विवरणी फाइल करने की तारीख बढ़ाई जाती है, तो निपटान रिपोर्ट तैयार करने की तारीख उसी हिसाब से बढ़ा दी जाएगी।

4. **केंद्रीय (एकीकृत कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (एकीकृत कर) और केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) के मध्य एकीकृत कर के क्रॉस-उपयोग और प्रभाजन की रिपोर्ट.—**केंद्रीय (एकीकृत कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (एकीकृत कर) और केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) के मध्य एक महीने में किए जाने वाले निधियों के अंतरण से संबंधित विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा अधिकारियों को प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01 से जीएसटी एसटीएल-1.12 में** निम्नानुसार प्रेषित किया जाएगा ;

(क) **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01 में** प्रत्येक राज्य के लिए एक मासिक समेकित विवरण, जिसमें अंतरित की जाने वाली कुल रकम से संबंधित खंड (ख) में निर्दिष्ट विवरण सम्मिलित हैं:-

(i) केंद्रीय (एकीकृत कर) से राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) या राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) से केंद्रीय (एकीकृत कर) तक केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 53, संबंधित राज्य

के माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 53 (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य माल और सेवा कर अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 में दिए गए उपबंध के अनुसार प्रत्यय के क्रॉस-उपयोग के कारण;

(ii) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 में उपबंध के अनुसार केंद्रीय (एकीकृत कर) से राज्य (राज्य कर) अथवा केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) को प्रभाजन के आधार पर।

(ख) **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01 में** निहित सूचना से संबंधित राज्यवार विवरण वाली मासिक रिपोर्टें निम्नानुसार हैं, अर्थात:-

(i) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने, यथास्थिति, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 53 या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 53 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 (आवक सेवा वितरक द्वारा क्रॉस उपयोग सहित) के अनुसार, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर या केंद्रीय कर के आवक कर प्रत्यय का उपयोग करके एकीकृत कर की देयता का निर्वहन किया है, जैसा भी मामला हो, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.02 में** होगा।

टिप्पण: केंद्रीय कर के आवक कर प्रत्यय का उपयोग करके निर्वहन की गई एकीकृत कर देयता का सारांश और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के आवक कर प्रत्यय का उपयोग करके निर्वहन की गई देयता को **क्रमशः प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01** दोनो के स्तंभ (3) में दर्शाया जाएगा**;**

(ii) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची**,** जिन्होंने एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 के अधीन अवधारित उपबंधों के अनुसार**,** एकीकृत कर के आवक कर प्रत्यय से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर**,** जैसा भी मामला हो**,** की देयता का संदाय किया है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.03** में होगा।

टिप्पण: एकीकृत कर के आवक कर प्रत्यय से छूटे हुए राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर के कारण देनदारियों का सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01** के स्तंभ (4) में दर्शाया जाएगा।

(iii) रजिस्ट्रीकृत लोगों या अरजिस्ट्रीकृत लोगों की सूची, जिन्होंने नीचे दी गई परिस्थितियों में एकीकृत कर दिया है और जिसे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के धारा 17 के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार बांटा जाना ज़रूरी है:-

(अ) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची-,

(I) जिन्होंने किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या इकाइयों को आवक सेवा वितरक द्वारा ऋण वितरण सहित बाहरी अंतर-राज्यीय आपूर्ति की है; या

(II) जिन्होंने किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच और पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान की हैं; या

(III) जिन्होंने कर का संदाय करके विशेष आर्थिक क्षेत्र को आपूर्ति की है, लेकिन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 और संबंधित राज्य वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि के भीतर उसी के प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है, या प्रतिदाय का दावा, पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकारकर दिया गया है; या

(IV) जिन्होंने कर का संदाय करके निर्यात किया है, लेकिन प्रतिदाय का दावा, पूर्ण याआंशिक रूप से, अस्वीकार कर दिया गया है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.04** में होगी।

स्पष्टीकरणः- खंड **3** या खंड **4** में विनिर्दिष्ट सूची इस संबंध में तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर अवधारित किए गए एकीकृत कर के संदाय के मद्देनज़र तैयार की जाएगी।

टिप्पण : इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश क्रमशः **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01** और **प्ररूप जीएसटी एसटीएल- 2.01** के स्तंभ (5) में दर्शाया जाएगा।

(आ) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत लोगों की सूची जिन्होंने बाहरी अंतर-राज्यीय आपूर्ति की है,-

(I) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, या अनिवासी कराधेय व्यक्तियों को; या

(II) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 या 52 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति; या

(III) ऐसे विशिष्ट पहचान संख्या धारक जिन्होंने इस संबंध में दी गई समय सीमा के भीतर आवक कर की वापसी का दावा नहीं किया है, उन्हें **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.05** में भरना होगा।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश क्रमशः **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** दोनों के स्तंभ (6) में दर्शाया जाएगा।

(इ) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत लोगों की सूची, जिन्होंने अंतर-राज्यीय आवक आपूर्ति प्राप्त की है या ऐसे आयात किए हैं जिनके संबंध में आवक कर प्रत्ययः-

(I) अयोग्य घोषित कर दिया गया है; या

(II) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उपधारा (4) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के उपबंध के अनुसार या जहां आपूर्ति पूरी तरह से छूट प्राप्त हो गई है, शमन स्कीम में सम्मिलित होने के कारण समाप्त हो गया है; या

(III) रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की तारीख से ठीक पहले वाले दिन स्टॉक में पड़े आवक (चाहे वे वैसे हों या अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित हों) या पूंजी माल के संबंध में लाभ उठाया गया हो, जहां उक्त कर का संदाय रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के आवेदन के साथ किया गया हो, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उप-धारा (5), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार; या

(IV) उप-मद **(III.)** में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कर, जिसका संदाय अंतिम विवरणी के साथ किया गया है,

(V) जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा (4) में उल्लिखित समय अवधि की सीमा के कारण आवक कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं है।

प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.06 में दर्शाया जाएगा :

परंतु प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.06 में उक्त रिपोर्ट इस संबंध में अवधारित मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर आवक कर प्रत्यय के ऐसे रिवर्सल या उपयोग के संबंध में रकम के मद्देनज़र तैयार की जाएगी।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश क्रमशः **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01** और **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** दोनों के स्तंभ (7) में दर्शाया जाएगा।

(ई) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची**,** जिन्होंने अंतर-राज्यीय आवक आपूर्ति प्राप्त की है या ऐसे आयात किए हैं जिनके संबंध में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (च) में विनिर्दिष्ट अवधि तक आवक कर प्रत्यय का लाभ नहीं उठाया गया है**,** इस संबंध में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.07** में दर्शाई जाएगी:

परंतु प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.07 में उक्त रिपोर्ट इस संबंध में अवधारित मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर आवक कर प्रत्यय की ऐसी घोषणाओं के संबंध में रकम के मद्देनज़र तैयार की जाएगी।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश क्रमशः **प्ररूप जीएसटी एसटीएल- 1.01** और **प्ररूप जीएसटी एसटीएल 2.01** दोनों के स्तंभ (8) में दर्शाया जाएगा।

(उ) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसार संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आयात करने वाले अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.08** में दर्शाई जाएगी।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश क्रमशः **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01** और **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** दोनों के स्तंभ (9) में दर्शाया जाएगा।

(ऊ) सूची:-

(I) संयुक्त कराधेय व्यक्ति जिन्हें आयात के माध्यम से आपूर्ति मिली है और जिस पर एकीकृत कर चुकाया गया है; या

(II) विशिष्ट पहचान संख्या धारक जिन्हें आयात के माध्यम से आपूर्ति मिली है, जिस पर एकीकृत कर दिया गया है और जिन्होंने इस बारे में बताए गए समय के भीतर धनवापसी का दावा नहीं किया है; या

(III) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अधिनियम की धारा 51 या धारा 52 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने आयात के माध्यम से ऐसी आपूर्ति प्राप्त की है जिस पर एकीकृत कर का संदाय किया गया है; या

(IV) संयुक्त कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति जिन्होंने अंतरराज्यीय आपूर्ति प्राप्त की है जो रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है,

उन्हें **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.09** में दर्शाया जाएगा।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल -1.01** और **प्ररूप जीएसटी एसटीएल- 2.01** दोनों के स्तंभ (10) में दर्शाया जाएगा।

(छ) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने एकीकृत कर पर ब्याज का संदाय किया है, तथा आईजीएसटी के अधीन अग्रिम निर्णय आवेदन दाखिल करने के लिए जमा किया गया फीस **प्ररूप जीएसटी एसटीएल- 1.12** में दर्शाया जाएगा।

टिप्पण: इस विवरण से राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर के रूप में विभाजित किए जाने वाले एकीकृत कर का सारांश, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01 और प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** दोनों के स्तंभ (11) में दर्शाया जाएगा।

5. केंद्रीय (एकीकृत कर) और केंद्रीय (केंद्रीय कर) के मध्य एकीकृत कर के क्रॉस-उपयोग और प्रभाजन की रिपोर्ट.— एक महीने में केंद्रीय (एकीकृत कर) और केंद्रीय (केंद्रीय कर) के मध्य निधियों के अंतरण से जुड़ी जानकारी, कॉमन पोर्टल द्वारा अधिकारियों को **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** से **जीएसटी एसटीएल–2.02** में भेजी जाएंगी, जो निम्नलिखित है, अर्थात्:-

(क) **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** में राज्यवार ब्यौरे वाला मासिक समेकित विवरण जिसमें अंतरित की जाने वाली कुल रकम संबंधित विवरण सम्मिलित हैं :-

(i) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 53 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 में दिए गए उपबंध के अनुसार प्रत्यय के क्रॉस-उपयोग के कारण, यथास्थिति, केंद्रीय (एकीकृत कर) से केंद्रीय (केंद्रीय कर) को, या केंद्रीय (केंद्रीय कर) से केंद्रीय (एकीकृत कर) को; और

(ii) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 में दिए गए उपबंधों के अनुसार केंद्रीय (एकीकृत कर) से केंद्रीय (केंद्रीय कर) तक प्रभाजन के कारण;

(ख) मासिक रिपोर्ट जिसमें राज्यवार विवरण होगा जिसमें उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची होगी जिन्होंने एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.02** में एकीकृत कर के आवक कर प्रत्यय का उपयोग करके केंद्रीय कर की देनदारियों का निर्वहन किया है।

टिप्पण: एकीकृत कर के प्रत्यय का उपयोग करके चुकाई गई केंद्रीय कर देयता का सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** के स्तंभ (4) में दर्शाया जायेगा और केंद्रीय कर के प्रत्यय का उपयोग करके चुकाई एकीकृत कर देयता का सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-2.01** के स्तंभ (3) में दर्शाया जायेगा।

6. मांग के विरूद्ध वसूले गए एकीकृत कर और अपील फाइल करते समय जमा की गई स्वीकृत रकम के केंद्रीय (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) अथवा केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) के मध्य प्रभाजन से संबंधित रिपोर्ट— एकीकृत कर की वसूली और उस पर ब्याज और शास्ति मांग आदेश के आधार पर, या अपील फाइल करते समय जमा की गई स्वीकार्य रकम या महीने में की जाने वाली चक्रवृद्धि रकम से संबंधित विवरण कॉमन पोर्टल द्वारा **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-3.01** से **जीएसटी एसटीएल–3.02** में अधिकारियों को इस प्रकार भेजा जाएगा: -

(क) एकीकृत कर के रूप में वसूली गई रकम का सारांश, और उस पर ब्याज और शास्ति, या अपील फाइल करने के समय जमा की गई स्वीकार्य रकम या चक्रवृद्धि रकम को राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर), और केंद्रीय (केंद्रीय कर) में विभाजित करने के लिए, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-3.01** में मासिक राज्यवार समेकित विवरण होगा;

(ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची, जिनसे एकीकृत कर की वसूली उनके देय ब्याज और शास्ति सहित की गई है, या जिन्होंने अपील फाइल करते समय एकीकृत कर की स्वीकृत रकम जमा की है, या चक्रवृद्धि रकम, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-3.02** में होगी।

टिप्पण 1: अपील फाइल करते समय जमा किए गए एकीकृत कर की स्वीकृत रकम, उस समय की रिपोर्ट में दिखाई जाएगी, जिस दौरान संबंधित अपील फाइल हुई है।

टिप्पण 2: एकीकृत कर की वसूली और मांग आदेश के आधार पर उस पर ब्याज और शास्ति उस अवधि में दर्शायी जाएगी, जिसके दौरान रकम पूरी तरह से वसूल की जाती है।

7. उस एकीकृत कर रकम के प्रभाजन से संबंधित रिपोर्ट, जहां आपूर्ति का स्थान अवधारित नहीं किया जा सका हो या ऐसी आपूर्ति करने वाला कराधेय व्यक्ति केंद्रीय (केंद्रीय कर) तथा राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) के मध्य परिलक्षित नही किया जा सका हो— एक महीने में किए जाने वाले राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) और केंद्रीय (केंद्रीय कर) को एकीकृत कर के प्रभाजन से संबंधित विवरण**,** प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-4.01** से **जीएसटी एसटीएल–4.03** में, सामान्य पोर्टल द्वारा अधिकारियों को इस प्रकार भेजा जाएगा:**—**

(क) एक मासिक राज्य-वार समेकित विवरण जिसमें राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) और केंद्रीय (केंद्रीय कर) को एकीकृत कर के प्रभाजन का सारांश दिखाया गया है, एक विशेष महीने में एकत्रित एकीकृत कर से संबंधित है जिसके संबंध में आपूर्ति का स्थान अवधारित नहीं किया जा सका है या ऐसी आपूर्ति करने वाले कराधेय व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है, जैसा कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन दिया गया है**, प्ररूप जीएसटी एसटीएल-4.01** में होगा;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिनसे एकीकृत कर संग्रहीत किया गया है, जिसके संबंध में कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति का स्थान अवधारित नहीं किया जा सका है, और जिसे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) के पहले परंतुक के अधीन उपबंध के अनुसार विभाजित किया जाना है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-4.02** में होगा;

स्पष्टीकरण:- किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने निर्यात किया है लेकिन धारा 54 में अवधारित सुसंगत अवधि के भीतर उसी के प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है या प्रतिदाय के दावे को, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, नियम 4(ख)(iii)(अ)(III) या 4(ख)(iii)(अ)(IV) में निर्दिष्ट कारण से भिन्न किसी अन्य आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है, प्ररूप एसटीएल- 4.02 में रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा।

(ग) एकीकृत कर का ब्यौरा एकत्रित किया गया है जिसके संबंध में ऐसी आपूर्ति करने वाले कराधेय व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है, और उसे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन उपबंध के अनुसार विभाजित किया जाना है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-4.03** में होगा और यह एक वार्षिक रिपोर्ट होगी जो हर वर्ष अक्तूबर में पेश की जाएगी।

8. पहले प्रभाजन लेकिन पश्चात् में वापस किए गए एकीकृत कर के कारण केंद्रीय (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) को विभाजित की जाने वाली रकम में कटौती से संबंधित रिपोर्ट— (1) केंद्रीय (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) को विभाजित की जाने वाली रकम में कटौती से संबंधित विवरण, जो एक महीने में किए जाने हैं, सामान्य पोर्टल द्वारा अधिकारियों को प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01 से जीएसटी एसटीएल-5.04 में भेजे जाएंगे, जो पहले आवंटित एकीकृत कर के कारण हैं, परंतु:-

(क) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (5) के अनुसार पश्चात् में वापस कर दिया गया हो; या

(ख) उक्त एकीकृत कर के कारण अपात्र प्रत्यय, जो पहले विभाजित किया गया था, संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उपधारा (1), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उपधारा (1) के अनुसार पात्र हो गया है,

प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01 से जीएसटी एसटीएल-5.03 में निम्नलिखित रीति में होगा।

(2) (क) एक मासिक राज्यवार समेकित विवरण जिसमें सारांश दर्शाया गया है जिसमें कराधेय व्यक्ति द्वारा संदाय किए गए एकीकृत कर को पहले ही विभाजित कर दिया गया है किंतु-

(i) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के उपबंधों के कारण व्यक्ति को पश्चात् में वापस की गई रकम, जिसके कारण एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (5) के अनुसार किसी विशेष माह में केंद्रीय (केंद्रीय कर) या राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) को विभाजित की जाने वाली रकम में कटौती आई हो; **या**

(ii) उक्त उपनियम (**1)** के खंड (ख) में निर्दिष्ट अनुसार**,** पूर्व में विभाजित उक्त एकीकृत कर के कारण अपात्र **प्रत्यय,** जो **पश्चात्** में पात्र हो गया है**,**

प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01 में होगा;

(ख) **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01** में दी गई जानकारी से जुड़े राज्य-वार विवरण से संबंधित मासिक रिपोर्ट भी निम्नानुसार दी जाएगी:

(i) रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्तिओं की सूची, जहां एकीकृत कर का संदाय अंतर-राज्यीय आवक आपूर्ति के कारण किया गया था, जिसके लिए आवक कर प्रत्यय पहले अपात्र था और विभाजित किया गया था, लेकिन अब संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उप-धारा (1), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उप-धारा (1) के अनुसार पात्र हो गया है, जिससे एकीकृत कर में कमी आई है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.02 में** होगा।

टिप्पण: राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर में जमा की जाने वाली रकम में कटौती का सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01** के क्रम.सं. 1 पर दर्शाया जाएगा;

(ii) रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्तिओं की सूची, जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21) की धारा 79 के अधीन वसूला गया एकीकृत कर या सक्षम अधिकारी द्वारा की गई मांग के परिणामस्वरूप संदाय किया गया कर विभाजित किया गया है, और इस प्रकार वसूल की गई रकम पश्चात् में अपील आदेश के अनुसरण में, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107, धारा 112, धारा 113, धारा 117 और धारा 118 तथा संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21) के अधीन, वापस कर दी जाती है, या जहां संदाय किए गए एकीकृत कर की रकम पश्चात् में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 77 के अनुसार वापस कर दी जाती है, जैसा कि पूर्वोक्त है, जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत कर में कमी होती है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.03 में** होगा।

टिप्पण: राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर में डेबिट की जाने वाली रकम में कमी का सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01 के** क्रम.सं**.** 2 पर दर्शाया जाएगा**;**

(iii) रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्तिओं की सूची, जहां एकीकृत कर के संदाय की देयता केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 37, धारा 38 और धारा 39 और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (या संघ राज्यक्षेत्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21) के अधीन प्रदान की गई विवरणी के सुधार के कारण उक्त संदाय के पश्चात् देय रकम में संशोधन से भिन्न किसी अन्य कारण से कम हो जाती है, और इस प्रकार संदाय किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर को विभाजित किया गया है, और अब इसे केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर से कम किया जाना आवश्यक है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.04 में** होगा।

टिप्पण 1: राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर और केंद्रीय कर में जमा की जाने वाली रकम में कमी का सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.01 के** क्रम.सं. 3 में दर्शाया जाएगा।

टिप्पण 2: किसी विवरणी में सुधार के कारण देय कर में संशोधन के कारण होने वाली कटौती को विवरणी में मूल्यों को घटाकर निपटाया जाता है और इसलिए **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-5.04** में जो शेष रहेगा वह केवल किसी अन्य कारण से संदाय किए गए कर में कटौती है।

9. प्रतिदाय से विभिन्न करों की वसूली और नकद खाता बही में रकम के अंतरण से संबंधित रिपोर्ट.—
केंद्रीय (केंद्रीय कर) और राज्य (राज्य कर) या केंद्रीय (संघ राज्यक्षेत्र कर) या केंद्रीय (उपकर) के मध्य समझौते की रिपोर्ट-

(क) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (10) और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, किसी भी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम की वापसी से वसूली; और

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही के एक शीर्ष से उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के दूसरे शीर्ष में या किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में रकम का अंतरण, जैसा कि संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 की उप-धारा (10) और धारा 53क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17क के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 49 की उप-धारा (10) और धारा 53क में निर्दिष्ट है,

सामान्य पोर्टल द्वारा **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.01 से जीएसटी एसटीएल-6.05 में** निम्नानुसार भेजा जाएगा:-

(i) कराधेय व्यक्ति द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय से प्राप्त रकम का सारांश और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में या किसी विशिष्ट व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में अंतरित की गई रकम का सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.01 में** होगा और विवरण निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा;

(क) जिन कराधेय व्यक्तिओं से किसी देयता की वापसी रकम वसूल की गई है उनकी सूची **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.02** में होगी और उसका मुख्य/लघु शीर्ष-वार सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.02ए में** होगा; और

(ख) उन कराधेय व्यक्तिओं की सूची, जिन्होंने नकद खाता बही में रकम का अंतर-शीर्ष अंतरण किया है, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.03 में** और उसका मुख्य/लघु शीर्ष-वार सारांश प्ररूप **जीएसटी एसटीएल-6.03**क **में** और राज्य-वार सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.05** में होगा;

(ii) संघ द्वारा वितरित राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के प्रतिदाय का सारांश **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.04** में कराधेय व्यक्ति-वार **प्ररूप एसटीएल-6.04**क के साथ केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

टिप्पण: प्ररूप जीएसटी एसटीएल-6.04 निपटान प्रक्रिया का भाग नहीं है**,** लेकिन रिपोर्ट राजस्व विभाग को प्रेषित की जाती है।

10. प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र और संघ के लिए समेकित निपटान रिपोर्ट.– (1) प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-7.01** में एक मासिक समेकित निपटान रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें **प्ररूप जीएसटी एसटीएल -1.01, 3.01, 4.01** और **5.01** में निहित निपटान विवरण के समेकित सारांश के आधार पर राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर खाते से एकीकृत कर के लेखे और एकीकृत कर खाते से राज्य कर खाते या संघ राज्यक्षेत्र कर के लेखे किए जाने वाले निधि के अंतरण के बारे में समेकित जानकारी दी जाएगी।

(2) संघ के लिए एक मासिक समेकित निपटान रिपोर्ट, **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-7.02** में रखी जाएगी, जिसमें **प्ररूप जीएसटी एसटीएल-1.01, 2.01, 3.01, 4.01** और **5.01** में दिये गये निपटान विवरण के समेकित सार के आधार पर केंद्रीय कर खाते से एकीकृत कर खाते और एकीकृत कर खाते से केंद्रीय कर के लेखे की जाने वाली निधि के अंतरण के बारे में जानकारी दी जाएगी।

11. अन्य उपबंध.- (1) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, उपर्युक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रत्येक राज्य को एकीकृत माल और सेवा कर खाते से किया जाने वाला शुद्ध संदाय या इसके विपरीत की गणना करेगा और माल और सेवा कर नेटवर्क से प्राप्त आंकड़ों की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर राजस्व विभाग को राज्यवार सारांश भेजेगा और इसके पश्चात्, इस आंकड़े की प्राप्ति अपलोड करने के आधार पर, उप-नियम (2) में अवधारित प्रक्रिया के अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा महीने के लिए एक अनंतिम स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।

(2) माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में किसी भी विसंगति का समाधान:

(क) प्रत्येक माह के लिए माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई गई उपरोक्त रिपोर्टों के आधार पर, केंद्रीय और संबंधित राज्य लेखा प्राधिकरण, बोर्ड और राज्य कर नोडल प्राधिकरण, प्राप्त संदाय के विवरण, आवक कर प्रत्यय अंतर-उपयोग, उसके परिवर्तन और उनके घोषणाओं के विवरण का मिलान करेंगे, और माल और सेवा कर नेटवर्क से प्राप्त प्रभाजन विवरण का मिलान करेंगे, और किसी भी विसंगति की स्थिति में अगले महीने की 20 तारीख तक माल और सेवा कर नेटवर्क और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक को सूचित करेंगे।

(ख) यदि इस अवधि के भीतर केंद्रीय या राज्य लेखा प्राधिकारी या कराधान प्राधिकारी द्वारा किसी विसंगति की ओर इशारा किया जाता है, तो माल और सेवा कर नेटवर्क इसकी जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो एक संशोधित गणना तैयार करेगा और इसे फिर से केंद्रीय और राज्य लेखा, कराधान अधिकारियों और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक को उक्त पश्चात् के महीने की 25 तारीख तक भेज देगा।

(ग) माल और सेवा कर नेटवर्क से प्राप्त संशोधित गणना के आधार पर और खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट विसंगति का मिलान करने के पश्चात्, यदि किसी राज्य के संबंध में कोई परिवर्तन किए गए हैं, तो प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक प्रत्येक राज्य को एकीकृत माल और सेवा कर खाते से किया जाने वाला शुद्ध संदाय या इसके विपरीत की गणना करेगा और माल और सेवा कर नेटवर्क से संशोधित आंकड़े प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर राजस्व विभाग को राज्यवार अंतिम सारांश भेजेगा और इस आंकड़े की प्राप्ति के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा महीने के लिए अंतिम स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा, जो नीचे अवधारित प्रक्रिया के अनुसार होगा:—

(i) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक राज्यों के साथ राज्यवार निधि निपटान का विवरण राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजेगा;

(ii) राजस्व विभाग का एक अभिहित अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंज़ूरी मिलने के पश्चात्, हर राज्य को एकीकृत वस्तु और सेवा कर खाते से या हर राज्य को एकीकृत माल और सेवा कर खाते से अंतरित किए जाने वाली निधि का मंजूरी आदेश जारी करेगा।

(iii) अनंतिम स्वीकृति आदेश उप-नियम (1) के अनुसार प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए विवरण के आधार पर जारी किया जाएगा।

(iv) अंतिम स्वीकृति आदेश, यदि आवश्यक हुआ तो, खंड (ख) के अनुसार प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए ब्यौरे के आधार पर जारी किया जाएगा।

(v) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा जारी राज्य-वार निधि निपटान के विवरण की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे।

(vi) राज्य-वार विवरण वाले केंद्रीय लेखा प्राधिकारी को संबोधित इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित) को प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड को भेजा जाएगा।

(vii) क्योंकि मंजूरी पत्र में निपटान का विवरण भी होगा, और इसलिए यह भविष्य में समाधान और लेखा परीक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार के अभिलेख में उपलब्ध होगा।

(viii) राज्य सरकारों को संघ से मंज़ूरी के माध्यम से अंतरित की जा रही निधि के बारे सूचित किया जाएगा।

(ix) मंज़ूरी की प्रति संबंधित राज्य के महालेखाकार को भी भेजी जाएगी।

(x) केंद्रीय लेखा प्राधिकारी, राजस्व विभाग से प्राप्त मंज़ूरी के आधार पर एक इंटर गवर्नमेंट एडवाइस तैयार करेगा और मंज़ूरी आदेश जारी होने के तीन दिनों के भीतर इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक [केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर] को भेजेगा।

(xi) भारतीय रिजर्व बैंक, इलेक्ट्रॉनिक इंटर-गवर्नमेंट एडवाइस के आधार पर, भारत की समेकित निधि और संबंधित राज्य की समेकित निधि के मध्य आवश्यक निधि निपटान करेगा; 'निकासी ज्ञापन' बनाएगा और उसे केंद्रीय लेखा प्राधिकारी और राज्य लेखा प्राधिकारी और महालेखाकार को भेजेगा।

(xii) केंद्रीय लेखा प्राधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक को इंटर-गवर्नमेंट एडवाइस जारी करते समय समुचित लेखा प्रविष्टियां करेंगे।

(xiii) संबंधित राज्य लेखा प्राधिकारी और महालेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी ज्ञापन मिलने के समय समुचित लेखा प्रविष्टियां करेंगे।

(घ) मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तैयार की गई सूचियों के संबंध में किसी भी विसंगति के समाधान की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

(i) प्रत्येक माह के लिए माल और सेवा कर नेटवर्क द्वारा प्रदत्त मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य कर नोडल प्राधिकारी माल और सेवा कर नेटवर्क से प्राप्त संदाय, आवक कर प्रत्यय क्रॉस-उपयोग, रिवर्सल और उनकी घोषणाओं तथा प्रभाजन विवरणों का मिलान करेंगे, और जहां उक्त रिपोर्टों के संबंध में कोई विसंगति देखी जाती है, वहां संबंधित नोडल प्राधिकारी उक्त विसंगति के संबंध में अपनी निष्कर्षों को माल और सेवा कर नेटवर्क को सूचित करेगा, जिसमें अपने निष्कर्षों के समर्थन में एक विस्तृत स्पष्टीकरण, आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ, यदि कोई हों, जो उक्त मामले से संबंधित हों, जहां तक संभव हो, उस महीने के अंत से तीन महीने की अवधि के भीतर जिसमें रिपोर्टें प्राप्त होती हैं।

(ii) उप-खंड (i) में उल्लिखित संसूचना, निष्कर्ष, स्पष्टीकरण और साक्ष्य और दस्तावेजों की यथासंभव विस्तार से जांच और सेवा कर नेटवर्क द्वारा उस महीने के अंत से तीन महीने की अवधि के भीतर की जाएगी जिसमें उक्त संसूचना प्राप्त हुई है, और जहां स्पष्टीकरण जांच के अधीन मामले के संबंध में अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों से प्राप्त होता है, तो निपटान के लिए योग्य पाई गई कोई भी रकम उस अवधि के तुरंत पश्चात् की अवधि की रिपोर्ट में सम्मिलित की जाएगी जिसमें जांच समाप्त हुई थी:

परंतु जहां रिपोर्ट से अपवर्जित रकम का केवल एक भाग ही जांच के अधीन मामले के संबंध में अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों से, यदि कोई हो, से प्राप्त होता है, तो केवल उतनी रकम, जितनी इस प्रकार प्राप्त होती है, को आगे की अवधि की रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

[फा. सं. एस-31011/96/2025 -एसटी-I- डीओआर]

मुथुरामन सी., अवर सचिव

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.01

[*नियम 4(क) देखें*]

सीमा शुल्क प्राधिकरणों से मिली विवरणी और जानकारी से भिन्न, विवरणी के आधार पर केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बी

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 तथा सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह/ - सभी

क्रम सं.	माह	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आईटीसी के एवज में समायोजित आईजीएसटी देयता (आईएसडी द्वारा अलग-अलग उपयोग क्रास यूटीलाइजेशन सहित) *(1.02)*	आईजीएसटी आईटीसी के विरूद्ध समायोजित एसजीएसटी/यूटीजीएसटी देयता *(1.03)*	अपंजीकृत यूनिट और ओआईडीएआर सेवाओं को आईएसडी वितरण सहित बी2सी आपूर्तियों पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग (1.04)	कंपोजिशन कर योग्य व्य निवासी कर योग्य व्यक्ति/ की कटौती के लिए पंज व्यक्तियों को की जाने अंतर्राज्यीय आपूर्ति के आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसट (1.05)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

बी टू बी आपूर्तियों पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग (आयात सहित) जिसमें आईटीसी विनिर्दिष्ट अवधि तक अनुपयोगित ही रहता है। (1.07)		अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा संग्रहीत आपूर्तियों पर एकत्रित आईजीएसटी का एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग (1.08)	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का हिस्सा कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति/यूआईएन होल्डर/वे व्यक्ति जो रिवर्स कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रतिवर्तित प्रभार के लिए दायी आवक आपूर्ति के लिए टीडीएस और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी आईजीएसटी का हिस्सा काटने के लिए पंजीकृत हैं, द्वारा आयातित (1.09)	आईजीए अग्रिम विनिर्ण जमा किए गए किए गए वि संबंधि ब्याज का यूटीजीएसटी भा (1.1
(8)		(9)	(10)	(11)
घरेलू लेनदेन के कारण	**आयात के कारण**			

टिप्पणी – सूची रिपोर्ट में परिवर्तन के कारण होने वाले पारिणामिक परिवर्तन।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.02

[*नियम 4(ख)(i) देखें*]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पंजीकृत व्यक्तियों की सूची जिन्होंने एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी और सीजीएसटी के आईटीसी से आईजीएस
2.01 के कॉलम 3 के लिए)

[सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 53]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-6, आईटीसी-03, आरईजी-16/जीएसटीआर-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (विधिक नाम, (यदि उपलब्ध न हो)	क्रास यूटीलाइजेशन की श्रेणी (विवरणी/विवरणी के अलावा)	एआरएन/आईजीएसटी मांग	कर विवरणी अवधि	सीज से भु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
योग						

टिप्पणी: 1. विवरणी के अलावा दूसरे कामों के लिए क्रेडिट का क्रास यूटीलाइजेशन होने पर, संदर्भ संख्या बताई जाएगी।

2. एआरएन से विवरणी की प्राप्ति संदर्भ संख्या निर्दिष्ट है।

टिप्पणी – वर्तमान में अवैध विवरणी को दाखिल नहीं किया जा रहा है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.03

[*नियम 4(ख)(ii) देखें*]

आईजीएसटी के आईटीसी से एसजीएसटी/यूटीजीएसटी को समायोजित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पंजीकृत व्यक्तियों की सूच

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 18]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-6, आईटीसी-03, आरईजी-16/जीएसटीआर-10)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (यदि उपलब्ध नहीं है तो विधिक नाम)	क्रास यूटीलाइजेशन की श्रेणी (विवरणी/विवरणी के अलावा)	एआरएन/ एसजीएसटी/यूटीजीएसटी मांग	एआरएन	कर विवर अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
योग						

टिप्पणी: विवरणी के अलावा दूसरे कामों के लिए क्रेडिट का क्रास यूटीलाइजेशन होने पर, संदर्भ संख्या बताई जाएगी।

टिप्पणी – अभी अवैध विवरणी को दाखिल नहीं किया जा रहा है। अंतिम कॉलम (सीजीएसटी) रिपोर्ट नंबर 2.02 का हिस्सा है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.04

[*नियम 4(ख)(iii)(क) देखें*]

आईएसडी वितरण समेत अंतर्राज्य आपूर्ति की है (अपंजीकृत लोगों को दी गई ओआईडीएआर सेवा सहित) (1.01 और 2.0

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	आपूर्तिकर्ता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	आपूर्ति की श्रेणी	व्यापरिक नाम (विधिक नाम, अगर उपलब्ध नहीं तो)	एआरएएन	कर विवरणी अवधि	आईजीएसटी भुगतान	अ क्षे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
योग								

टिप्पणी: कॉलम (4) निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जाएगा:

श्रेणी क: अपंजीकृत लोगों को की गई अंतर्राज्य आपूर्ति (क्रेडिट/डेबिट टिप्पणी हटाकर) या अपंजीकृत यूनिट्स को बांटी गई आईएसडी आपूर्ति

श्रेणी ख: देश के बाहर रहने वाले लोगों द्वारा अपंजीकृत लोगों को दी जाने वाली ओआईडीएआर सेवा से जुड़ी जानकारी।

टिप्पणी – श्रेणी ग से घ मौजूदा विवरणी फाइलिंग प्रक्रिया में सुसंगत नहीं हैं।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.05

[*नियम 4(ख)(iii)(ख) देखें*]

दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पंजीकृत लोगों की सूची जिन्होंने कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति / अनिवासी कर योग्य व्यक्ति / राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ पंजीकृत व्यक्ति को अंतर्राज्य आपूर्ति की है, जिन्होंने वापसी दावा नहीं किया है और वापसी का दावा करने की समयावधि समाप्त हो गई

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	आपूर्तिकर्ता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (विधिक नाम, अगर नहीं उपलब्ध तो)	प्राप्तकर्ता की श्रेणी	प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन/यूआईएन	व्यापरिक नाम (विधिक नाम, अगर उपलब्ध नहीं तो)	एआरएन	कर विवरणी अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
योग								

टिप्पणी: कॉलम 5 में ये श्रेणियाँ होंगी:

(a) *श्रेणी क: कंपोजिशन* कर योग्य *व्यक्ति,*

(b) *श्रेणी ख: गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति*

(c) *श्रेणी ग : यूआईएन होल्डर जिन्होंने वापसी दावा नहीं किया है और टाइम समयावधि समाप्त हो गई है, और*

(d) *श्रेणी घ : टीडीएस काटने के लिए पंजीकृत व्यक्ति*

टिप्पणी – यूआईएन धारकों को की जाने वाली आपूर्तियों का निपटारा नहीं हो पाता है क्योंकि वे वापसी का दावा करते हैं। कटौति
वाली आपूर्तियों का भी निपटारा किए जाने की आवश्यकता है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.06

[*नियम 4(ख)(iii)(ग) देखें*]

उन पंजीकृत लोगों की सूची जिन्होंने अंतर्राज्य आंतरिक आपूर्ति की है, जिसके लिए आईटीसी को अपात्र या अस्वीकार्य घोषित किय
की वजह से व्यपगत हुआ आईटीसी और रद्दीकरण आवेदन या अंतिम विवरणी को दाखिल करने के साथ आईटीसी रिवर्सल के ब
2.01 के कॉलम 7 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-3बी, आईटीसी-03, आरईजी-16/जीएसटीआर-10, सारणी 4 जीसी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -
वर्ष -
माह -

क्रम सं.	प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन	आवंटित की जाने वाली आईटीसी की श्रेणी	व्यापारिक नाम (अगर उपलब्ध न हो तो विधिक नाम)	एआरएन	विवरणी की कर अवधि/ फाइलिंग के महीने की स्टॉक जानकारी	आईजीएसटी की राशि वितरण के लिए उपलब्ध	एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी आईजीएसटी का हिस्सा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
योग								

टिप्पणी:

1. आईटीसी का दावा करने और उसे उलटने के लिए सुसंगत धारा - सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 17 और 18 (4

2. कॉलम 3 की श्रेणियाँ निम्नानुसार होंगी:

- *श्रेणी क: वह सप्लाई जिसके लिए आईटीसी पात्र नहीं है।*
- *श्रेणी ख: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 18(4) के अनुसार कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने के कारण आ*
- *श्रेणी ग : पंजीकरण रद्द होने की वजह से आईटीसी व्यपगत हो गया: रद्दीकरण आवेदन या अंतिम विवरणी फाइल करने के*
- *श्रेणी घ: धारा 16(4) के अधीन सीमा के कारण आईटीसी स्वीकार्य नहीं है*

टिप्पणी – रद्दीकरण या अंतिम विवरणी के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय करदाताओं द्वारा आईजीएसटी मद के अधीन भुगतान
चाहिए।

पंजीकरण होने पर आईटीसी व्यपगत नहीं होता है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.07
[*नियम 4 (ख)(iii)(घ) देखें*]

उन पंजीकृत लोगों की सूची जिन्होंने अंतर्राज्य आवक आपूर्ति की है, जिस पर आईटीसी विनिर्दिष्ट अवधि तक उपयोग नहीं हुआ है (01

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-2बी)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -
वर्ष -
माह -

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (यदि उपलब्ध न हो तो विधिक नाम)	एआरएन	कर विवरणी अवधि	वितरण के लिए उपलब्ध अनुपयोगित आईजीएसटी आईटीसी	आईजीएसटी के लाभ न उठाए ग भाग का एसजीएसटी/यूटीजीएसट हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भाग क:	(घरेलू लेन-देन के कारण)					
उप-योग (भाग क)						
भाग ख:	(आयात के कारण)					

उप-योग (भाग ख)						
योग योग (क+ख)						

टिप्पणी: इस रिपोर्ट में उन प्राप्तकर्ता कर योग्य व्यक्तियों का विवरण शामिल होगा जिन्होंने विवरणी फाइल किया है लेकिन सीजीएसटी/एसजीए
गई विनिर्दिष्ट अवधि तक आईटीसी का लाभ नहीं उठाया है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.08
[*नियम 4(ख)(iii)(ड.) देखें*]

उन अपंजीकृत लोगों की सूची जिन्होंने माल का आयात किया है (1.01 और 2.01 के कॉलम 9 के लि

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]
(स्रोत: फॉर्म: बिल ऑफ एंट्री)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -
वर्ष -
माह -

क्रम सं.	अपंजीकृत व्यक्ति का नाम	आईईसी	पता	ब्याज सहित भुगतान किया गया आईजीएसटी, यदि कोई है	आईजीएसटी क एसजीएसटी/यूटीजी हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
योग					

टिप्पणी: इस रिपोर्ट में सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त व्यक्तियों का विवरण, यदि उपलब्ध करवाया गया हो तो, शामिल होगा।
स्त्रोत: सीमा शुल्क प्राधिकारियों से आयात डाटा।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.09
[*नियम 4 (ख)(iii)(च) देखें*]

कंपोजीशन कर योग्य व्यक्तियों की सूची, टीडीएस काटने के लिए पंजीकृत व्यक्ति जिन्होंने आयात किया है, यूआईएन होल्डर्स जिन्हें आयात के
वापसी का दावा नहीं किया है और कंपोजीशन करदाताओं और गैर निवासी कर योग्य व्यक्तियों की सूची जिन्हें आवक अंतर्राज्य आपूर्ति मिली
और 2.01 के कॉलम 10 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर -5, सीएमपी-08, बिल ऑफ एंट्री)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -
वर्ष -
माह -

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (यदि उपलब्ध नहीं है तो विधिक नाम)	की श्रेणी करदाताओं	एआरएन, यदि कोई हो	कर अवधि	माल/ सेवाएं (जी/एस)	आईजीएसटी भुगतान	आइ एसजीए हिस्सा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
योग								

टिप्पणी:

1) इस रिपोर्ट में सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त होने वाले आयातित माल की जानकारी शामिल होगी।

2) सेवाओं के आयात के आकंड़ें विवरणी में की गई घोषणा के अनुसार होंगे।

3) कॉलम 4 में निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी:

(ए) *श्रेणी क: कम्पोजिशन* कर योग्य *लोगों द्वारा माल का आयात,*

(बी) श्रेणी ख: यूआईएन *होल्डर्स द्वारा माल का आयात और तय समय के भीतर वापसी दावा न करना,*

(सी) श्रेणी ग: टीडीएस काटने के लिए पंजीकृत लोगों *द्वारा माल का आयात , और*

(डी) श्रेणी घ: अंतर्राज्य आवक आपूर्ति जो कंपोजिशन कर योग्य *व्यक्ति और अनिवासी* कर योग्य *व्यक्ति को मिलती है, जिस पर उलटा प्रभा*

टिप्पणी – एनआरटीपी द्वारा की गई आरसीएम आपूर्तियों से संबंधित सूचना को हाल ही में जीएसटीआर-5 में शामिल किया गया है। कंपोजीशन
का भी निपटारा किया जाता है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 1.12
[*नियम 4(ख)(iii)(छ) देखें*]

विवरणी से संबंधित आईजीएसटी पर ब्याज का भुगतान करने वाले आईजीएसटी के अंतर्गत अग्रिम विनिर्णय आवेदन फाइल कर
करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की सूची (1.01 और 2.01 के कॉलम 11 के लिए)

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 , जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-7, जीएसटीआर
एडीवीआरएल (अग्रिम विनिर्णय))

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -
वर्ष -
माह -

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (विधिक नाम, (यदि उपलब्ध न हो)	एआरएन	कर विवरणी अवधि	आईजीएसटी पर ब्याज का भुगतान	आईजीएसटी पर दिया गया ब्याज का एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी हिस्सा	आईजीएसटी पर दिया गया ब्याज का सीजीएसटी हिस्सा	अग्रिम विनिर्णय के लिए आईजीएसटी पर इकट्ठा की गई फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
योग								

टिप्पणी:

1) ब्याज का वितरण प्राप्तकर्ता राज्यों के बीच किया जाएगा।

2) आईजीएसटी के अंतर्गत अग्रिम विनिर्णय आवेदन फाइल करने के लिए जमा की गई फीस शुल्क संबंधित राज्यों को वितरित की

टिप्पणी – अब आईजीएसटी शीर्ष के अधीन अग्रिम फीस भी दी जा रही है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 2.01

[*नियम 5(क) देखें*]

सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त विवरणी और सूचना के अलावा, विवरणी के आधार पर सीजीएसटी और आईजीएसटी के बीच

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 और 18 तथा सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की ध

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएसटी देयता को सीजीएसटी आईटीसी के एवज में समायोजित किया (आईएसडी द्वारा (परस्पर उपयोग सहित) (1.02)	आईजीएसटी आईटीसी के एवज में समायोजित सीजीएसटी देयता (2.02)	बी2सी आपूर्ति पर इकट्ठा किया गया आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा, जिसमें अपंजीकृत यूनिट को आईएसडी वितरण और ओआईडीएआर सेवाएं शामिल हैं (1.04)	कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति / अनिवासी कर योग्य व्यक्ति / यूआईएन होल्डर्स / टीडीएस काटने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर्राज्य आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा (1.05)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

बी टू बी आपूर्ति (आयात सहित) पर संग्रहित आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा जहां आईटीसी बकाया निर्दिष्ट अवधि तक **अप्रयुक्त है।** (1.07)		अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आयातित आपूर्ति पर एकत्रित आईजीएसटी का सीजीएसटी भाग (1.08)	कंपोजिशन कर योग्य व्यक्तियों/ यूआईएन धारकों/ टीडीएस काटने के लिए पंजीकृत लोगों द्वारा आयात की गई आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा और कंपोजिशन कर योग्य लोगों और अनिवासी कर योग्य व्यक्तियों द्वारा मिली उलटा प्रभार वाली आवक आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा (1.09)	आ वि हिस् लि
(8)		(9)	(10)	
घरेलू लेनदेन के कारण	**आयात के कारण**			

टिप्पणी – परिणामी परिवर्तन।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 2.02

[*नियम 5(ख) देखें*]

पंजीकृत लोगों की सूची जिन्होंने सीजीएसटी देयता को आईटीसी या आईजीएसटी से समायोजित किया है (2.01 के

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 18(क)]

(स्रोत: फॉर्म: जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-6, आईटीसी-03, आरईजी-16/जीएसटीअ

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापारिक नाम (विधिक नाम, (यदि उपलब्ध न हो)	क्रास यूटीलाइजेशन की श्रेणी (विवरणी/विवरणी से भिन्न)	एआरएन/ मांग	विवरणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
योग					

टिप्पणी: विवरणी से भिन्न दूसरे प्रयोज्यों के लिए क्रेडिट के क्रास यूटीलाइजेशन के मामले में, मांग का एआरएन बताया जाएगा।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 03.01

[*नियम 6(क) देखें*]

अपील फाइल करते समय भुगतान की गई मांग और जमा की गई मानी गई राशि के बदले वसूल की गई आईजी

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितरित की जाने वाली आईजीएसटी राशि की श्रेणी	अपील दाखिल करते समय वसूली गयी या जमा की गई आईजीएसटी राशि					
			कर	ब्याज	शास्ति	चक्रवृद्धि राशि	योग	आईज सीजी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		योग						

टिप्पणी:

1) सुसंगत धारा: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 73, 74, 74क, 128क, 79 , 129 , 107(6), 112(8) तथा अन्य सुसंग

2) ऊपर कॉलम 3 में बताई गई श्रेणी निम्नानुसार होगी:

(a) *श्रेणी क : मांग पर वसूली गई आईजीएसटी राशि, और*

(b) *श्रेणी ख : सीजीएसटी/एसजीएसटी* अधिनियम *की* धारा *107,112 के अधीन अपील फाइल करते समय जमा की गई आईजी*

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 3.02

[*नियम 6(ख) देखें*]

उन पंजीकृत लोगों की सूची जिनसे मांग के अनुसार आईजीएसटी धनराशि वसूली गयी और अपील फाइल करते सम

(स्रोत: फॉर्म: डीआरसी-03, डीआरसी-3क, डीआरसी-07/डीआरसी-08 , एपीएल-01 , ए

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापरिक नाम (यदि उपलब्ध न हो तो विधिक नाम)	आदेश संख्या	आदेश की तारीख	आईजीएसटी राशि की श्रेणी वितरित किया जाना	नकद बहीखाते की डेबिट प्रविष्टि	क्रेडिट बही खाते की डेबिट प्रविष्टि	आईजीएसटी शीर्ष के अधीन वसूली या अपील फाइल करते समय जमा की गई मानी गई राशि			
								कर	ब्याज	शास्ति	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
योग											

टिप्पणी:

1) सुसंगत धारा: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 73, 74, 74क, 128क, 79 , 129 , 107(6), 112(8) तथा अन्य सुसंग

2) ऊपर कॉलम 6 में बताई गई श्रेणी निम्नानुसार होगी:

(क)श्रेणी क : मांग पर वसूली गई आईजीएसटी राशि, और

(ख)श्रेणी ख : सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम *की* धारा *107,112 के अधीन अपील फाइल करते समय जमा की गई आईजी*

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 4.01

[*नियम 7(क) देखें*]

आईजीएसटी राशि का वितरण जहां आपूर्ति की जगह या कर योग्य व्यक्ति निर्धारित नहीं हो

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	जहां पीओएस ज्ञात नहीं है वहां आईजीएसटी का वितरण		आईजीएसटी का वितरण जहां कर योग्य व्यक्ति ज्ञात नहीं है		
	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग	सीजीएसटी भाग	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी भाग	सीजीएसटी भाग	एस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
योग					

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 4.02

[*नियम 7(ख) देखें*]

कर योग्य लोगों की सूची जिनसे आईजीएसटी संग्रह किया गया है और आपूर्ति का स्थान ज्ञात नहीं है *(4.01 के व*

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

वर्ष -

माह -

a) आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन
b) वितरित की जाने वाली आईजीएसटी की राशि............
c) (ख) में वर्णित राशि में से सीजीएसटी भाग.......
d) बाकी राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (बी सी) में वितरित की जाएगी.....

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिन्हें पूर्ववर्ती अवधि में आपूर्ति की गई थी	राज्य को की गई आपूर्ति की राशि	आपूर्ति का अनुपात	अ
(1)	(2)	(3)	(4)	
योग				

*टिप्पणी: राज्य/*संघ राज्य क्षेत्र *में वितरण उसी अनुपात में किया जाना है जिस अनुपात में प्रत्येक राज्य को आपूर्ति की गई थी।*

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 4.03

[*नियम 7(ग) देखें*]

आईजीएसटी का वितरण जो तब एकत्रित किया गया है जब कर योग्य व्यक्ति का पता नहीं है *(4.01 के कॉल*

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

वर्ष -

माह -

क) वितरित की जाने वाली आईजीएसटी की राशि............

ख) (क)में उल्लिखित राशि में से सीजीएसटी भाग.......

ग) बाकी राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (क-ख) में वितरित की जाएगी .....

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले वर्ष में एकत्रित कर की राशि	एकत्रित कर का अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)
योग			

टिप्पणी: वितरण पूर्ववर्ती वर्ष के कर संग्रहण के अनुपात में किया जाना है।

टिप्पणी– सभी आवश्यक फॉर्मों में पीओएस आवश्यक है। पीओएस के बिना कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी – यह सुसंगत नहीं है क्योंकि अस्थायी आईडी या जीएसटीआईएन अनिवार्य है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 5.01

[*नियम 8(2)(ए) देखें*]

राज्य-वार समेकित विवरण जिसमें एक सारांश दिखाया गया है, जिसमें करदाता द्वारा चुकाया गया एकत्रित कर पहले ही प्रभावित
अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम और संघ राज्य क्षेत्रजीएसटी अधिनियम के अलग-अलग के कारण करदाता की एकत्रित कर
कर) और राज्य (राज्य कर)/केंद्र (संघ राज्य क्षेत्र कर) को सेटल की गई राशि में कमी आई

[आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

मास -

क्रम सं.	विवरण
(1)	(2)
1.	अंतर्राज्य आवक पूर्ति आपूर्ति के कारण बांटी गई राशि जिसके लिए आईटीसी को अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन अ वह योग्य हो गई है। *(ब्यौरा एसटीएल 5.02 से आ रहा है)*
2.	बकाया राशि की वसूली के लिए बांटी गई राशि और बाद में अपील आदेश के कारण ब्याज के साथ वापस कर दी गई राशि *(ब्यौरा एसटीएल 5.03 से आ रहा है)*

3.	कमी के कारण – पहले से आवंटित राशि की वापसी में सुधार के अतिरिक्त कोई अन्य कारण *(ब्यौरा एसटीएल 5.04 से आ रहा है)*
	योग

टिप्पणी – अभी के विवरणी प्रक्रिया में, क्रम सं. 1 से 5 के लिए कोई डेटा स्रोत नहीं है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 5.02

[*नियम 8(2)(ख)(i) देखें*]

(5.01 के क्रम सं. 1 के लिए)

अंतर्राज्य आवक आपूर्ति के कारण कमी, जिसके लिए आईटीसी को अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन अब वह योग्य हो ग

(स्रोत: फॉर्म: आईटीसी-01)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	जीएसटी आईएन	व्यापरिक नाम (यदि उपलब्ध नहीं है तो विधिक नाम)	एआरए न संख्या	कर एआरए न की अवधि	बीजक संख्या जिसमें आईटीसी घोषित था अपात्र, यदि कोई हो	बीजक की तारीख जिसमें आईटीसी घोषित था अपात्र, यदि कोई हो	आईटीसी की राशि घोषित किया गया पहले अयोग्य	अभी आईटीसी की राशि पात्र होने का दावा किया	आ एसर्ज क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
योग									

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 5.03

[*नियम 8(2)(ख)(ii) देखें*]

(5.01 के क्रम सं.2 के लिए)

बकाया शोध की वसूली के कारण कटौती और बाद में अपील आदेश और उस पर ब्याज के कार

(करदाताओं की सूची)

(स्रोत: फॉर्म: डीआरसी-03, डीआरसी-03क, डीआरसी-07, डीआरसी-08 , एपीएल-01 , ए

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	व्यापरिक नाम (यदि उपलब्ध नहीं है तो विधिक नाम)	मांग आदेश संख्या	अनुरोध आदेश तारीख	अपील आदेश संख्या	अपील आदेश की तारीख	अपील आदेश के कारण बकाया राशि वापस की गयी	एसजीएसटी/ आईजीएसटी का संघ राज्य क्षेत्रजीएसटी भाग	आईजीएसटी का सीजीएसटी हिस्सा	धनवापसी के कारण देय ब्याज की राशि (कॉलम 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
योग										

टिप्पणी : सुसंगत धारा - सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 79, 107, 112, 117 और 118 के साथ-साथ सीजीएसटी/एसजीएसटी अ

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 5.04

[*नियम 8(2)(ख)(iii) देखें*]

(5.01 के क्रम सं.3 के लिए)

पंजीकृत करदाताओं की सूची जिनसे गलत तरीके से तय की गई राशि वसूल की गई है

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

मास -

क्रम सं.	जीएसटीआईएन/यूआईएन	व्यापार नाम (विधिक नाम, (यदि उपलब्ध न हो)	एआरएन	एआरएन की कर अवधि	पहले से तय राशि की वसूली	ए यू अ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
योग						

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 7.01

[*नियम 10(1) देखें*]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित निपटान रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

वर्ष -

मास -

क्रम सं.	विवरण	जमा राशि	विकि
1.	केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवरणी और अन्य से जुड़े खातों का निपटान (जीएसटी एसटीएल 1.01)		
2.	वसूल की गई आईजीएसटी राशि और स्वीकार की गई राशि का वितरण (एसटीएल 3.01)		
3.	आईजीएसटी राशि का वितरण जहां आपूर्ति की जगह या कर योग्य व्यक्ति का पता नहीं चल सका (एसटीएल 4.01)		
4.	अपील में शामिल राशि की वापसी या किसी और वजह से पहले से वितरित राशि में कमी (एसटीएल 5.01)		
	योग		

टिप्पणियाँ – परिणामी परिवर्तन

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट - 7.02

[*नियम 10(2) देखें*]

केंद्र के लिए समेकित निपटान रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/सभी-

वर्ष -

माह -

क्रम सं.	विवरण	जमा राशि	विकलित राशि
1.	विवरणी से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी के बीच समायोजित बही (एसटीएल 2.01)		
2.	वसूल की गई आईजीएसटी राशि और स्वीकार की गई राशि का वितरण (एसटीएल 3.01)		
3.	आईजीएसटी राशि का वितरण जहां आपूर्ति की जगह या कर योग्य व्यक्ति का पता नहीं चल सका (एसटीएल 4.01)		
4.	अपील में शामिल राशि की वापसी या किसी और कारण से पहले से वितरित राशि में कमी (एसटीएल 5.01)		
	योग		

टिप्पणियाँ – परिणामी परिवर्तन

टिप्पणी:

1) सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 53 और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 18 के अधीन, एसजीएसटी/संघ विपरीत, आईजीएसटी के जमा के क्रास यूटीलाइजेशन पर केंद्र और राज्यों के बीच निधि का निपटान विवरणी फाइल क

2) आईजीएसटी का वितरण कर योग्य व्यक्ति के फाइल की गई विवरणी के आधार पर किया जाएगा।

3) आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 के अधीन, माल के आयात पर लगने वाले आईजीएसटी का वितरण सीमा शुल्क प्रा किया जाएगा।

4) नामे डाले जाने संबंधी टिप्पणी जारी होने के कारण जमा हुई आईजीएसटी राशि का वितरण मूल सारणी में किया जाएगा।

5) माह उस महीने को दिखाता है जिसमें वितरण किया जा रहा है

6) कर अवधि वह समय होता है जिससे विवरणी या सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा दी गई जानकारी जुड़ी होती है।

7) एआरएन, आवेदन संदर्भ संख्या निर्दिष्ट करता है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.01

[*नियम 9 (ख) (i) देखें*]

वापसी से की गई वसूली और नकदी बही के शीर्षों के बीच राशि के अंतरण के कारण केंद्र और राज्य के बीच निधि

राज्य –
वर्ष –
माह –

क्रम सं.	विवरण	(-) से अंतरित राशि		(+) में	
		मुख्य शीर्ष	राशि	आईजीएसटी	सीजीएसटी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वापसी से वसूली (6.02)	आईजीएसटी			
		सीजीएसटी			
		एसजीएसटी/यूटीजीएसटी			
		उपकर			
2.	नकदी बही से अंतरण (6.03)	आईजीएसटी			
		सीजीएसटी			
		एसजीएसटी/यूटीजीएसटी			
		उपकर			
3.	योग (1+2)	आईजीएसटी			
		सीजीएसटी			
		एसजीएसटी/यूटीजीएसटी			
		उपकर			

4.	अंतरण की जाने वाली कुल राशि (+) / (-)	आईजीएसटी से सीजीएसटी			
		आईजीएसटी से एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी			
		आईजीएसटी से उपकर			
		सीजीएसटी से एसजीएसटी/यूटीजीएसटी			
		सीजीएसटी से उपकर			
		एसजीएसटी/यूटीजीएसटी से उपकर			

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.02

[नियम 9(ख)(i)(क) देखें]

उन करदाताओं की सूची जिनसे वापसी, वसूली की गई है

(स्रोत: फॉर्म: आरएफडी-06)

राज्य –
वर्ष –
मास –

क्रम सं.	जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी	मांग आदेश क्रमांक	मांग आदेश की तारीख	वापसी आदेश सं:	वापसी आदेश की तारीख	मंज़ूर की गई वापसी में से अंतरित राशि (-)		अंतरित राशि (की ग	
						मुख्य शीर्ष	राशि	आईजीएसटी	सीजी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(
						आईजीएसटी			
						सीजीएसटी			
						एसजीएसटी/यूटीजीएसटी			
						उपकर			
	योग					आईजीएसटी			
						सीजीएसटी			
						एसजीएसटी / यूटीजीएसटी			
						उपकर			

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट : 6.02 क

[*नियम 9(ख)(i)(क) देखें*]

वापसी से हुई रिकवरी के कारण केंद्र और राज्य के बीच निधियों का समायोजन

(स्रोत: फॉर्म: आरएफडी-06)

राज्य
वर्ष
मास-

क्रम सं.	विवरण	अंतरित राशि (-)			अंतरित राशि (+)											
		मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	राशि	आईजीएसटी (एमएच 0008)					सीजीएसटी (एमएच 0005)					एसजीए (एमए	
					टी	आई	पी	एफ	ओ	टी	आई	पी	एफ	ओ	टी	आई
1	वापसी से वसूली	आईजीएसटी (एमएच 0008)	टी													
			आई													
			पी													
			एफ													
			ओ													
		सीजीएसटी (एमएच 0005)	टी													
			आई													
			पी													
			एफ													
			ओ													
		एसजीएसटी /यूटीजीएसटी	टी													
			आई													
			पी													
			एफ													
			ओ													

		(एमएच0006/0007)															
		उपकर (एमएच 0009)	टी														
			आई														
			पी														
			एफ														
			ओ														
2	अंतरण की जाने वाली योग राशि (+)/(-)	आईजीएसटी से सीजीएसटी															
		आईजीएसटी से एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्रजीएसटी															
		आईजीएसटी से उपकर															
		सीजीएसटी से एसजीएसटी/यूटीजीएसटी															

		सीजीएसटी से उपकर			
		एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी से उपकर			

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.03

[*नियम 9(ख)(i)(ख) देखें*]

उन करदाताओं की सूची जिन्होंने नकदी बही में राशि का अंतर्शीर्ष अंतरण किया है

(स्रोत: फॉर्म: पीएमटी-09)

राज्य –
वर्ष –
मास –

क्रम सं.	जीएसटी आईएन / अस्थायी आईडी	एआरएन	एआरएन की तारीख	(-) से अंतरित राशि		(+) में अंतरित राशि		
				मुख्य शीर्ष	राशि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				आईजीएसटी				
				सीजीएसटी				
				एसजीएसटी / यूटीजीएसटी				
				उपकर				
	योग			आईजीएसटी				
				सीजीएसटी				
				एसजीएसटी / यूटीजीएसटी				
				उपकर				

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.03क

[*नियम 9(ख)(i)(ख) देखें*]

करदाता द्वारा नकदी बही से राशि अंतरित करने की वजह से केंद्र और राज्य के बीच निधियों का समायो

(स्रोत: फॉर्म: पीएमटी-09)

राज्य-
वर्ष-
मास-

क्रम सं.	विवरण	अंतरित राशि (-)			अंतरित राशि (+)														
		मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	राशि	आईजीएसटी (एमएच 0008)					सीजीएसटी (एमएच 0005)					एसजीएसटी/यूटीजीएसटी (एमएच0006/0007)				
					टी	आई	पी	एफ	ओ	टी	आई	पी	एफ	ओ	टी	आई	पी	एफ	ओ
1	नकद खाता हस्तांतरण	आईजीएसटी (एमएच 0008)	टी																
			आई																
			पी																
			एफ																
			ओ																
		सीजीएसटी (एमएच0005)	टी																
			आई																
			पी																
			एफ																
			ओ																
		एसजीएसटी/यूटी जीएस	टी																
			आई																
			पी																
			एफ																

		टी (एमएच0006/0007)	ओ																
		उपकर (एमएच 0009)	टी																
			आई																
			पी																
			एफ																
			ओ																
2	अंतरित की जाने वाली योग राशि (+)/(-)	आईजीएसटी से सीजीएसटी																	
		आईजीएसटी से एसजीएसटी/ संघ राज्य क्षेत्रजीएसटी																	
		आईजीएसटी से उपकर																	
		सीजीएसटी से एसजीएसटी/																	

		यूटीजी एसटी			
		सीजी एसटी से उपकर			
		एसजी एसटी/ यूटीजी एसटी से उपकर			

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.04

[*नियम 9(ख)(ii) देखें*]

केंद्र द्वारा जारी एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी के अधीन वापसी का सारांश

(स्रोत: फॉर्म: आरएफडी-05)

वर्ष -

माह-

राज्य कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या	जारी किए गए वापसी की राशि (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.04क

[*नियम 9(ख)(ii) देखें*]

उन करदाताओं की सूची जिनका एसजीएसटी/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी के अधीन वापसी केंद्र ने जारी कर

(स्रोत: फॉर्म: आरएफडी-05)

राज्य –
वर्ष –
मास –

क्रम सं.	जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी	संव्यवहार आईडी (पीएफएमएस)	संव्यवहार तारीख (पीएफएमएस)	संदर्भ संख्या (आरएफडी-05)	जारी करने की ता (आरएफडी-05)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	योग				

टिप्पणी: रिपोर्ट इस फॉर्म में अलग से बनाई जाती है और डीओआर को भेजी जाती है, लेकिन यह निपटान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।

जीएसटी एसटीएल रिपोर्ट: 6.05

[*नियम 9(ख)(i)(ख) देखें*]

नकदी बही में निधि के इंट्रा-हेड और अंतर्शीर्ष अंतरण का सारांश

फाइल की गई जीएसटी पीएमटी-09 की संख्या: <<100>>

(स्रोत: फॉर्म: पीएमटी-09)

मास-

राज्य कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	करदाताओं की संख्या	मुख्य शीर्ष जिससे अंतरित किया गया	लघु शीर्ष जिससे अंतरण किया गया	मुख्य शीर्ष जिसमें अंतरित किया गया	लघु शीर्ष किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	